



प्रकाशन हेतु अनुमोदन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति

रिट याचिका (सिविल) क्र. 467/2012

याचिकाकर्तागण

महेंद्रलाल सलूजा एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरदाता

नगर पालिक निगम, बिलासपुर

श्री के.ए. अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री देवेश केला, याचिकाकर्तागण के लिए अधिवक्ता।

श्री आशुतोष सिंह कछवाहा, उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता।

श्री पी.एस. कोशी एवं श्री एच.एस. अहलूवालिया, हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

**मौखिक आदेश**

**(दिनांक 02/04/2012)**

याचिकाकर्तागण ने नगर पालिक निगम, बिलासपुर (जिसे इसके पश्चात 'निगम' के रूप में संदर्भित किया गया है) को खसरा क्र. 488 और 214, जो शिव टॉकीज बस स्टैंड रोड पर वर्तमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से रवींद्र नाथ टैगोर चौक के बीच



स्थित है, पर किए गए सभी अवैध निर्माणों को हटाने के लिए निर्देश जारी करने हेतु निवेदन किया है, साथ ही निगम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से रवींद्र नाथ टैगोर चौक तक सड़क को 115 फीट की सीमा तक चौड़ा करने का निर्देश देने हेतु भी निवेदन किया है।

(2) विवाद का मूल वर्ष 1987 का है जब तीन व्यक्तियों द्वारा विविध याचिका क्र. 2450/1987 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें निगम द्वारा उक्त खसरा क्र. पर दुकानें बनाने के निर्णय पर इस आधार पर आपत्ति जताई गई थी कि उक्त भूमि नजूल भूमि है जिसे मास्टर प्लान में सड़क के रूप में दर्शाया गया है। रिट याचिका को अंततः दि. 05/03/1997 को अनुलग्नक पी/7 द्वारा निगम के इस कथन को अभिलिखित करने के पश्चात निराकृत किया गया वे सड़क का कम से कम 85 फीट क्षेत्र छोड़ देंगे और शेष भूखंड का उपयोग व्यावसायिक परिसर बनाने के लिए करने हेतु राज्य सरकार से अनुमति मांगेंगे। खंडपीठ ने आगे यह भी कहा कि निगम लोकहित में कार्य करेगा और यदि लोकहित में आवश्यक हो तो प्रस्ताव की समीक्षा करेगा। दूसरी रिट याचिका क्र. 1408/1998 पाँच याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिनमें वर्तमान दोनों रिट याचिकाकर्ता भी शामिल थे। उक्त दूसरी रिट याचिका में यह कहा गया था कि रिट याचिका में पिछली बार यह गलत कथन दिया गया था कि सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई 80 फीट है, जबकि मास्टर प्लान के अनुसार यह 35 मीटर (115 फीट) थी (वर्ष 1998



की पूर्वोक्त रिट याचिका की कंडिका 5.18)। उक्त रिट याचिका में यह आक्षेपित किया गया था कि निगम केवल एक तरफ से सड़क को 115 फीट तक चौड़ा कर रहा है न कि केंद्र से दोनों तरफ, और निगम द्वारा सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके दुकान बनाने की कार्यवाही करने की संभावना है। पहली रिट याचिका उसके साथ साथ पश्चातवर्ती रिट याचिका में निगम के विरुद्ध अंतरिम आदेश जारी किए गए थे, जिसमें उसे दुकानें बनाने से रोका गया था और इस प्रकार वर्ष 1987 से आज तक प्रश्नगत दुकानें आधी बनी हुई हैं और पूरी नहीं हुई हैं। रिट याचिका क्र. 1408/1998 इस न्यायालय के

समक्ष दि. 09/02/2009 को सुनवाई के लिए आई और उक्त तिथि को निगम द्वारा दिए गए वचन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

"2. उत्तरदाता क्रमांक 5-निगम की हेतु उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कछवाहा, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के प्रभारी अधिकारी के दि. 20 जनवरी, 2009 के शपथ पत्र में दिए गए कथनों के आधार पर, जो इस प्रकार है:-

"4. यह कि, मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात, छत्तीसगढ़ राज्य दि. 01.11.2000 को अस्तित्व में आया और उक्त सड़क के सौंदर्यीकरण के लिए, उत्तरदाता को अब यह



महसूस हुआ है कि उक्त क्षेत्र को पार्किंग के लिए कुछ स्थान की आवश्यकता है और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार, निगम वर्तमान में निर्मित दुकानें, जो पहले अन्य उत्तरदातागण के नाम पर आवंटित की गई थीं, को हटाने के लिए तैयार है और उत्तरदाता उस राशि को भी ब्याज सहित वापस करने के लिए तैयार है, जो दुकानों के आवंटन के विरुद्ध निगम में जमा की गई है।"

(जोर दिया गया)

(3) उपरोक्त पृष्ठभूमि में, ऊपर उल्लिखित अनुतोष के लिए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देते हैं कि यह वचन प्रस्तुत करने के बावजूद कि निगम वर्तमान अर्ध-निर्मित दुकानों को हटाने के लिए तैयार है, जो पहले आवंटियों को आवंटित की गई थीं, और वह राशि भी ब्याज सहित वापस करने के लिए तैयार है जो दुकानों के आवंटन के विरुद्ध निगम में जमा की गई है, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है और निर्माणाधीन दुकानें सड़क पर खड़ी हैं, जिससे यातायात के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है और अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा



है। वह आगे यह तर्क देते हैं कि जब वचन प्रस्तुत करने के पश्चात विवाद सुलझ गया था तो निगम को इसका सम्मान करना चाहिए था और निर्माण को हटाकर सड़क को चौड़ा करना चाहिए था, फिर भी इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद, संभवतः आवंटियों को अनुतोष देने के लिए धन के अभाव के कारण, कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(5) निगम के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिका में राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है और निगम के पास 2 करोड़ रुपये के कोष की कमी है, जिसका भुगतान आवंटियों को किया जाना है। वह यह तर्क देते हैं कि राज्य सरकार को पत्र भेजे गए हैं और वास्तव में एक आवंटी, श्री सुनील छाबड़ा ने निगम को एक सूचना भेजी है कि वह राशि वापस पाने के अपने हक का त्याग कर रहा है।

(6) हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोशी ने यह तर्क दिया है कि रिट याचिका उन्हें पक्षकार बनाए बिना प्रस्तुत की गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्तागण और नगर निगम के बीच मिलीभगत है। उन्होंने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता पिछला आदेश पारित होने के तीन साल से अधिक समय पश्चात इस न्यायालय के पास आए हैं और नई रिट याचिका की आड़ में वे पिछले आदेश का निष्पादन चाह रहे हैं।



(7) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि नगर निगम अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह विफल रहा है। निर्माणाधीन दुकानें पिछले 25 वर्षों से शहर के हृदय स्थल में स्थित हैं और वर्तमान में मुकदमेबाजी का तीसरा दौर चल रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा पहले दो बार निर्माण पर रोक लगाई गई थी और अंततः निगम ने एक वचन प्रस्तुत किया जिसे इस आदेश के पूर्ववर्ती कंडिकाग्राफ में उद्धृत किया गया है। एक बार वचन प्रस्तुत करने के पश्चात अब निगम इस अभिवचन के साथ आगे आया है कि उसके पास आवंटियों को प्रतिकर देने के लिए आवश्यक धन नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि जब तक प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाता है, उनके लिए मास्टर प्लान के विपरीत अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों को हटाने संबंधी वचन का पालन करना कठिन है।

(8) नगर पालिक परिषद रतलाम विरुद्ध वर्दीचंद एवं अन्य, जो (1980) 4 एससीसी 162 में प्रकाशित किया गया है, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि धन की कमी के आधार पर राजमार्ग में बाधा को दूर करने में नगर पालिका की ओर से निष्क्रियता कोई बहाना नहीं है और प्रभावित व्यक्ति न्यायालय जाने के हकदार हैं। भले ही, शुरुआत में यह राजमार्ग में बाधा न रहा हो, लेकिन समय बीतने के साथ यह लगभग एक बाधा बन गया है क्योंकि इसका निर्माण मास्टर प्लान के



विपरीत किया गया है, जो अन्यथा सड़क के चौड़ीकरण और यातायात के सुचारु प्रवाह को प्रभावित कर रहा है।

(9) संतोष कुमार मित्तल एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (सिविल) 421/2012 के मामले में, एक ऐसे व्यक्ति के अधिकारों पर विचार करते हुए जिसकी भूमि का उपयोग भवन निर्माण रेखा के कारण सड़क चौड़ीकरण के लिए किया गया है, इस न्यायालय ने दि. 12/03/2012 के अपने आदेश द्वारा, नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 305 और 306 का उल्लेख करने के पश्चात और ताराबाई विरुद्ध इंदौर नगर पालिक निगम, इंदौर, जो 1977 (1) एमपीडब्ल्यूएन 321 में प्रकाशित किया गया है, में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय पर अवलंब लेते हुए, आदेश के कड़िका 4 और 5 में इस प्रकार निर्धारित किया है:

"4. ताराबाई विरुद्ध इंदौर नगर पालिक निगम, इंदौर (1977)

1 एमपीडब्ल्यूएन 321 के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि विधि कल्पना द्वारा पीछे हटने का प्रभाव उस भूमि का निगम में निहित होना होगा और ऐसा निहित होना प्रतिकर के भुगतान पर निर्भर नहीं करता है। इसे देखते हुए, यह नहीं माना जा सकता कि जब तक प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाता, अधिकारी सड़क चौड़ीकरण या नाली निर्माण के लिए कोई निर्माण करने हेतु सक्षम नहीं हैं। हालांकि, इसके



साथ ही, प्रत्येक नागरिक जिसकी भूमि अधि. की धारा-305 के अनुसार निगम द्वारा सीमांकित भवन रेखा में शामिल है, वह अधि 1956 की धारा 305 के परंतुक और धारा 306 के तहत प्रदान किए गए अनुसार उचित प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है, यद्यपि धारा 306 की उपधारा (3) आगे यह प्रावधान करती है कि ऐसे प्रतिकर का निर्धारण करते समय, उस मालिक को उसकी भूमि के विकास से होने वाले लाभों पर ध्यान दिया जाएगा जो उक्त सड़क से प्रभावित है।

5. विधि की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, निगम को सड़क चौड़ीकरण या नाली निर्माण से रोकने से इनकार करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि उत्तरदाता निगम याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाले सटीक क्षेत्र का पता लगाएगा और उसके पश्चात उस प्रतिकर का निर्धारण करेगा जिसका याचिकाकर्ता अधि. 1956 की धारा 305 और 306 के तहत हकदार है। यह निर्धारण इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में आज से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत आवेदन पर किया जाएगा। उत्तरदाता निगम तत्पश्चात विधि के अनुसार उचित समय के भीतर और अधिमानतः उसके छह





माह की अवधि के भीतर प्रतिकर के विवादक पर विचार करेगा और निर्णय लेगा।"

(10) एम.आई. बिल्डर्स प्रा. लि. विरुद्ध राधे श्याम साहू एवं अन्य, जो (1999) 6 एससीसी 464 में प्रकाशित किया गया है, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 73, 74 और 80 में इस प्रकार निर्धारित किया है:

"73. उच्च न्यायालय ने पूरी परियोजना को ध्वस्त करने और पार्क को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह माना है कि जहाँ निर्माण अनाधिकृत है, वहाँ बिल्डर या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए, यह सिद्धांत अब लगभग विधि के शासन के समान है। अपीलकर्ता और दुकानों के संभावित आवंटियों द्वारा प्रतिकर को बदलने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया गया था। ऐसे विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता जो अवैधता को प्रोत्साहित करता हो या अवैधता को स्थायी बनाता हो। अनाधिकृत निर्माण, यदि वह अवैध है और उसका शमन नहीं किया जा सकता, तो उसे ध्वस्त करना ही होगा। इसका कोई अन्य रास्ता नहीं है। न्यायिक विवेक सुविधा से



निर्देशित नहीं हो सकता। न्यायालय वैधानिक बेड़ियों से मुक्त नहीं हैं। न्याय विधि के अनुसार दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश न्यायिक विवेक के वस्त्र पहनकर केवल अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और विशिष्ट स्वभाव के आधार पर आदेश पारित करने के हकदार नहीं हैं। जहाँ भी न्यायिक विवेक के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वह विधि और स्थापित विधि सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि वर्तमान मामले में अनुतोष देने और पार्किंग के लिए बने ब्लॉकों में से एक को खड़े रहने देने में देखा जाए, हम पार्किंग स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए महापालिका के अनिवार्य कर्तव्यों से निर्देशित हुए हैं।

74. वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि बिल्डर को इस न्यायालय से एक अंतरिम आदेश मिला और उस आदेश के बल पर महापालिका से योजना की स्वीकृति और एलडीए से अनापत्ति प्राप्त की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने निर्माण पर काफी राशि निवेश किया जो 80% पूर्ण है और किसी भी मानक से एक प्रथम श्रेणी का निर्माण है। बिल्डर को क्यों ऐसा जोखिम लेना चाहिए जब विशिष्टतः अंतरिम आदेश में था कि बिल्डर अपने जोखिम पर निर्माण करेगा और यदि अपील में निर्णय उसके विरुद्ध जाता है तो वह किसी साम्य का दावा नहीं करेगा? जब इस



न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिया गया था, तब महापालिका और राज्य सरकार बिल्डर का पक्ष ले रहे थे। तथ्य तो यह है महापालिका ने स्वयं उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी। शायद इसी ने बिल्डर को निर्माण के साथ आगे बढ़ने और निर्माण को ध्वस्त करवाने और पार्क को उसकी मूल स्थिति में अपने खर्च पर निर्माण करने का जोखिम लेने की उम्मीद दी। बिल्डर ने न केवल महापालिका बल्कि राज्य सरकार के रुख में बदलाव का पूर्वानुमान नहीं लगा सका था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उसने पार्क के भूमि उपयोग को बदलने के लिए राज्य सरकार के साथ प्रबंधन करने की अपनी क्षमता का आंकलन अधिक किया था। बिल्डर इस संदिग्ध सौदे में निर्दोष खिलाड़ी नहीं है जब वह अपने पक्ष में महापालिका के प्रस्ताव और आक्षेपित समझौते को निष्पादित करवाने में सक्षम था। अब, दुकानों के निर्माण से और अधिक भीड़भाड़ होगी और उससे क्षेत्र और अधिक प्रदूषित होगा। इस अनाधिकृत निर्माण में अब कोई भी व्यावसायिक गतिविधि इस क्षेत्र पर अतिरिक्त बोझ डालेगी। न्यायालय की प्राथमिक चिंता उस नकारात्मक प्रभाव को, जो भूमिगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थितियों पर पड़ेगा और भीड़भाड़ जो यातायात और कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों के बढ़ने के कारण और



गंभीर हो जाएगी, को समाप्त करना है। यहां पूरी संरचना को ध्वस्त करने और पार्किंग के लिए निर्मित हिस्से को छोड़कर पार्क को उसकी मूल स्थिति में पुनःस्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम जानते हैं कि पार्क को पूरी तरह से उसकी मूल स्थिति में पुनःस्थापित करना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि कई पेड़ काट दिए गए हैं और अब लगाए जाने वाले पेड़ों को बढ़ने में वर्षों लगेंगे। किंतु एक शुरुआत तो करनी ही होगी।

80. हमने ऊपर उल्लेख किया है कि अधि. की धारा 114 के खंड (ix-ए) के तहत, महापालिका के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी भी साधन या उपाय से, जिसका उपयोग करने या प्रयुक्त करने के लिए वह विधिक रूप से सक्षम है, पार्किंग स्थलों, बस-स्टॉप और सार्वजनिक सुविधा के निर्माण और रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त प्रावधान करे।"

(11) प्रियंका एस्टेट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य, जो (2010) 2 एससीसी 27 में प्रकाशित किया गया है, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 55 और 56 में इस प्रकार निर्धारित किया है:



"55. यह सामान्य ज्ञान की बात है कि स्वीकृत योजनाओं से परे अवैध और अनाधिकृत निर्माण बढ़ रहे हैं, जिसका कारण बड़े शहरों में भूमि की कमी हो सकती है। ऐसी गतिविधियों से कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है अन्यथा बिल्डर/कॉलोनाइजर स्वीकृत और अनुमोदित योजनाओं से परे निर्माण करना जारी रखेंगे और फिर भी बेदाग निकल जाएंगे। अंततः, फ्लैट मालिक ही ऐसी गतिविधियों का शिकार होते हैं क्योंकि एक आम आदमी की अंतिम इच्छा अपना खुद का आश्रय पाने की होती है। ऐसे अवैधानिक निर्माण निश्चित रूप से सार्वजनिक हित के विरुद्ध हैं और बहुमंजिला इमारतों के रहने वालों और निवासियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। कुछ हद तक दोनों पक्षों को इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार कहा जा सकता है। फिर भी बिल्डर की तुलना में उन फ्लैट मालिकों का अधिक नुकसान होगा जिनके फ्लैटों को ध्वस्त किया जाना है।

56. भले ही पिछले अवसरों पर भी, समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय के ऐसे निर्णय रहे हैं जो सभी बिल्डरों के लिए एक संकेत होने चाहिए थे कि अनाधिकृत निर्माण करना कभी फलदायी नहीं होता और बड़े पैमाने पर समाज के हित के विरुद्ध है, लेकिन बिल्डरों द्वारा इस



पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। निगमों या विकास प्राधिकरणों द्वारा समाज के व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए नियम, विनियम और उप-नियम बनाए जाते हैं और नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि वे ऐसे नियमों का पालन करें जो उनके लाभ के लिए बनाए गए हैं। यदि अनाधिकृत निर्माणों को बने रहने दिया जाता है या न्यायालय द्वारा अनुमोदन की मुहर लगा दी जाती है, तो इसका असर आम जनता पर पड़ना तय है। एक व्यक्ति के पास एक उचित सीमा के भीतर अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार के सहित, यदि यह सार्वजनिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है जिससे सार्वजनिक असुविधा होती है तो इसे उस सीमा तक कम किया जाना चाहिए।"

(12) उपरोक्त दोनों मामलों, एम.आई. बिल्डर्स प्रा. लि. (पूर्वोक्त) और प्रियंका एस्टेट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह ज्ञात होने के पश्चात कि निर्माण अनाधिकृत है क्योंकि वह मास्टर प्लान या स्वीकृत योजना का उल्लंघन करता है, संरचना को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया है।

(13) विचाराधीन मामले में विधि की कठोरता निगम के साथ-साथ हस्तक्षेपकर्ताओं के विरुद्ध भी अधिक बलपूर्वक लागू होगी क्योंकि जिस भूमि पर दुकानों



का निर्माण किया गया है वह हस्तक्षेपकर्ताओं की नहीं है। दुकानों का निर्माण मास्टर प्लान के विपरीत किया गया था और निगम द्वारा हस्तक्षेपकर्ताओं को दिया जाने वाला प्रतिकर उस राशि के कारण है जो उन्होंने दुकानों/भूमि के आवंटन प्राप्त करते समय निगम के पास जमा की थी जिस पर दुकानों का निर्माण किया जाना था। इस प्रकार, संतोष कुमार मित्तल (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सादृश्य और उसे लागू करते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिकर का भुगतान न करना/पट्टे की राशि की वापसी जो निगम ने पहले हस्तक्षेपकर्ताओं से प्राप्त की थी, निगम द्वारा उन दुकानों को ध्वस्त करने के मार्ग में नहीं आएगी जो अन्यथा मास्टर प्लान के विपरीत बनाई गई हैं।

(14) इस प्रकार, रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसके द्वारा

निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार की जाती है:

- (I) निगम वर्तमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से रवींद्र नाथ टैगोर चौक के बीच खसरा क्र. 488 और 214 पर स्थित निर्माणाधीन/अर्ध-निर्मित दुकानों और अन्य अवैध निर्माणों को आज से दो माह की अवधि के भीतर ध्वस्त करेगा और उसके पश्चात सड़क को चौड़ा करेगा।



(ii) निगम हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेगा और आवंटियों द्वारा भुगतान की गई राशि को छह माह की अवधि के भीतर वापस करेगा। यदि कोई हस्तक्षेपकर्ता किसी अन्य स्थान पर भूमि/दुकान के आवंटन को स्वीकार करके या किसी अन्य तरीके से मामले को निपटाना चाहता है, तो निगम ऐसा सहमत समझौता करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(15) नगर पालिक निगम, रतलाम बनाम वर्दीचंद एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, नगर पालिक निगम राज्य सरकार से धन जुटाएगा, हालांकि, अवैध निर्माण और निर्माणाधीन दुकानों को गिराने में इस आधार पर देरी नहीं की जा सकती है।

(16) उपरोक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका निराकृत की जाती है।

हस्ताक्षरित/-

पी. के. मिश्रा

न्यायमूर्ति



---

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv VARTIKA VERMA

